पत्रांक-बजट-36-मु0व्या0दु0बी0यो0/ / (बाधित अवधि)/ 754 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0
(बजट अनुभाग)
लखनऊ // दिनॉक // 22-12-2020

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,
वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियो के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना बाधित अवधि (दि0 15-06-2018 से वर्तमान) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-आई0टी0-निवेश मित्र(जनहित गारण्टी)-(2020-21)/133/ 2021005/ वाणिज्य कर दिनांक 22-06-2020(पताका-क) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। परिपत्र द्वारा शासन के पत्र दिनांक 01-06-2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार वाणिज्य कर विभाग की जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाकर मा0 मुख्यमंत्री जी के **दर्पण** डैशबोर्ड से इन्टीग्रेट किये जाने हेतु विभाग में प्रचलित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना सेवा को आनलाइन किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-क0नि0-4-1312/11-2018-400(94)/2000 टी0सी0 दिनांक 28-12-2018 के द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत योजना को विभाग द्वारा चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासन के उक्त निर्देशों के अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-1327 दिनांक 30-01-2019 एवं परिपत्र संख्या-1589 दिनांक 14-03-2019 द्वारा प्राप्त दावों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर प्रकरण में कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

परन्तु आई0टी0 अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22-06-2020 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जोन स्तर से प्रकरणों में कमेटी की रिपोर्ट एवं संस्तुति प्राप्त नही हो रही है तथा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 द्वारा परिपत्र का हवाला देते हुए अवगत कराया जाता है कि **योजना आनलाइन हो गयी है तथा कमेटी की रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नही है तथा प्रकरण का सीधे ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित कर दिया जाता है।** कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण अनावश्यक रुप से बीमे दावे के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया आई0टी0 अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22-06-2020 के क्रम में कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् प्राप्त दावा प्रपत्रों पर इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-1327 दिनांक 30-01-2019 एवं परिपत्र संख्या-1589 दिनांक 14-03-2019 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए दावा प्रपत्र Offline माध्यम से मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाए। वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, अत: विषय को शीघ्र वरीयता प्रदान करना अपेक्षित है।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
3- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम, कमिश्नर कैम्प, मुख्यालय को कमिश्नर, महोदया के अवलोकनार्थ।
4- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।